Ex.P-270

5-93

कथन – मोहम्मद गुलाब चौहान

थाना	–	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर
अपराध क्रमांक	–	09/2015
धारा	–	13(1) डी, 13(2) पी0सी0 एक्ट 1988, 109, 120बी भा0द0वि0
नाम व पिता का नाम	–	मोहम्मद गुलाब चौहान पिता स्व. शहाबुद्दीन
उम्र	–	55 वर्ष
पता	–	गंजपारा सत्ती चौरा, दुर्ग (छ0ग0)
मोबाईल नंबर	–	94252–47158
व्यवसाय	–	श्याम राईस मिल में मैनेजर कोनारी दुर्ग (छ0ग0)

––00––

मैं मोहम्मद गुलाब चौहान पूछने पर बता रहा हूं कि मैं कोनारी श्याम राईस मील मैनेजर का कार्य करता था। इससे पहले भी मैने शहर के कई राईस मिलों में मैनेजर का कार्य किया हूं मैं श्याम राईस मील कोनारी में मैनेजर का कार्य लगभग 5 वर्ष से कर रहा हूं। मेरे द्वारा इस कार्य के दौरान नागरिक आपूर्ति निगम के चावल उपार्जन केन्द्रों में कष्टम मिलिंग का चावल जमा करने के दौरान पूरे कार्यक्रम में अधिकारियों द्वारा हमें प्रताडित किया जाता हैं। ये लोग सीजन के शुरू होने से पहले एक राईस मिलर्स एसोसियेशन एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों एवं मैदानी कर्मचारियों का मिटिंग होता है जिसमें एक क्रम बनाया जाता हैं कि विभिन्न चरणों में कितनी राशि किस स्तर पर दी जानी होती है एवं प्रति टन कितनी राशि एकत्रित होनी है पहले से तय किया जाता है। हमारे द्वारा चावल को ट्रकों में भर कर नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों में जमा करने हेतु ले जाया जाता था जिसमें चौकीदार से लेकर क्वालिटी इंस्पेक्टर तक सभी को तय अनुसार राशि दिया जाता था जिसमें क्वालीटी इंसपेक्टर की राशि 150रू. प्रति टन, गोदाम प्रभारी को 50रू. प्रति टन, हमालों को 3रू. पैकेट हमाली, चौकीदार को 200रू., कट ओपन करने वाले को 200रू. इस प्रकार कुल 200रू. से 250रू. प्रति टन हमारे द्वारा दिये जाने पर चावल को स्वीकार किया जाता है। अगर हम पैसा देने से मना करते है तो इनके द्वारा विभिन्न चरणों में हमे परेशान किया जाता है। जैसे चावलों को मूलतः वापस कर दिया जाता था जिसे वापस लाने में हमें कम से कम 500रू. प्रति टन का खर्चा आता था। इस वजह से हमें उक्त चरणों में पैसा देना पड़ता है, क्योकि ये हमारी व्यवसायिक मजबूरी है। हमारे द्वारा पैसा नहीं दिये जाने पर ये चावल को जांच के दौरान वापस कर दिया जाता था। चूकि चावल परीक्षण करने का अधिकर सिर्फ क्वालीटी इंस्पेक्टर के पास है इसका लाभ लेकर हमारे उपर दबाव बना कर रिस्वत की मांग की जाती रहीं है। यदि हम रिस्वत देने से मना करते थे तो इनके द्वारा हमारे स्टाक में चावल लोडिंग–अनलोडिंग, वेट लॉस, चोरी से भय, मौसम की मार एवं चावल वापस करने पर

500रू. प्रति टन का परिवहन चार्ज तथा गोदाम में जगह भर जाने के बाद में पुनः चावल लेने के लिये जगह बनाने हेतु 100रू से 150रू. प्रति टन लिया जाता था। लॉग रूट ट्रांसर्पोटिंग के माध्यम से जगह बनाई जाती थी । इस कारण हम मजबूर होकर प्रति टन 250रू. रिस्वत नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी जिला प्रबंधक को भुगतान करनी पड़ती थी। चूकि हमे इसी विभाग से संबंध रखकर राईस मील चलाकर अपना कार्य करते रहना है इसलिये कोई भी राईस मीलर व्यापारी इनके खिलाफ किसी प्रकार बयान बाजी या कार्यवाही करने से पीछे हटता है । यही मेरा कथन है।

दिनांक 04.03.15

(एस0डी0 देवस्थले)
निरीक्षक
आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो,
रायपुर, छत्तीसगढ़